

mm495.D.Patni

पं. वसु द्वारा प्राप्त

Fax No. 18522 2238884

31 Jul 2012 0:30:00 PM

197/Fax/2012

10m

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग-5

संख्या-941/1-5-2012-155/2011-रा0-5

लखनऊ : दिनांक 30 जुलाई, 2012

अधिसूचना

जिलाधिकारी
हापुड़
1-8-12

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन 1904) की धारा 21 के साथ पठित यूपी0 लेण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यूपी0 अधिनियम संख्या-3, सन 1901) की धारा 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-2877/1-5-2011-153/2011-रा0-5, दिनांक 28 सितम्बर 2011 का आदेश के उपान्तर करके राज्यपाल, उत्तर अधिसूचना में सूचित विद्यमान जिला प्रशासनिक वरु कम परिश्रित कर जिला हापुड़ करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि विभाग में पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाई पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

संख्या-941(1)/1-5-2012-155/2011-रा0-5, तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित-
जिलाधिकारी, हापुड़।

प्रतिनिधि अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निर्देशक राजस्व एवं वाखा एकाग्र, लखनऊ को इस अनुसंध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को तत्काल दिनांक 30 जुलाई, 2012 के अंतर्गत गजट भाग-4 खण्ड (ख) परिशिष्ट आदेश में प्रकाशित 500 मुद्रित प्रतियां शासन के राजस्व अनुभाग-5, 20 अथवा जिलाधिकारी, हापुड़, 20 प्रतियां आयुक्त गार्जियबाद नगरपाल, गार्जियबाद तथा 30 प्रतियां आयुक्त एच सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग-5 को तत्काल भेजने काट करे।

- 3- शासन के सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव।
- 4- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- सशक्ता मण्डल, उत्तर प्रदेश।
- 6- तत्परत जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- सचिवालय के सचिव, अनु-1।
- राज्य सचिव, जिला गार्जियबाद, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
- सूचना विभाग, लखनऊ।
- गार्जियबाद।

Handwritten signature and date: 30/7/12

Handwritten signature and date: 30/7/12